

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आर्क्ष.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/ 3782

दिनांक - 16/12/25

प्रार्थीगण  
1 रामदेवी पत्नि रतनाराम 2  
खेमीदेवी पत्नि जेठाराम जाति  
जाट निवासी विशाला आगोर  
तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 केसराराम 2 रतनाराम 3 चूनाराम पिसरान  
पोकरराम 4 गैराराम 5 मेघाराम 6 बागाराम पिसरान  
जेठाराम 7 जोगाराम पुत्र चेतनराम 8 खेताराम पुत्र  
खेगाराम 9 दगाराम पुत्र पैलादराम 10 मानी पुत्री  
धन्नाराम 11 महेन्द्र पुत्र धन्नाराम 12 पारू पत्नि  
धन्नाराम जाति जाट 13 हेमाराम 1 जोगाराम  
पिसरान रासिंगाराम 15 जेठाराम पुत्र मंगलाराम 16  
रिडमलराम पुत्र मंगलाराम जाति भील 17 अजूराम  
पुत्र लुम्बाराम 18 अनोपाराम पुत्र लुम्बाराम 19  
नाथूराम 20 सिमरथाराम पिसरान चेतनराम जाति  
मेघवाल सभी निवासी विशाला आगोर तहसील व  
जिला व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :-438/2025

दिनांक- 04/12/2025

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा विशाला आगोर पटवार क्षेत्र विशाला आगोर तहसील व जिला बाड़मेर  
के खसरा संख्या 798/325 रकबा 1.4596 हैक्टेयर, खसरा संख्या 800/325 रकबा 11.1127 हैक्टेयर  
व खसरा संख्या 799/325 रकबा 1.4569 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए  
नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी  
कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि  
निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा  
जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे।  
कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो  
प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/ 3783-86

दिनांक- 16/12/25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी विशाला आगोर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड  
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण रामदेवी पत्नि रतनाराम वगैराह जाति जाट निवासी विशाला आगोर तहसील व जिला  
बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण केसराराम पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासी विशाला आगोर तहसील व जिला व  
जिला बाड़मेर।



उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर